Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **डूंगरपुर में आरोपी श्री रितिक पटेल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत वागदरी जिला डूंगरपुर 5,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।**

जयपुर, 24 जून, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी डूंगरपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी रितिक पटेल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत वागदरी जिला डूंगरपुर को परिवादी से **5,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी डूंगरपुर को दिनांक 19.06.2025 को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की पत्नि के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000/— रूपये कि पहली किस्त जमा हुई व शेष किश्त राशि अभी जमा होना बाकी है जिस पर आरोपी श्री रितिक पटेल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दूसरी किस्त व तीसरी किश्त बैंक से जारी करवाने की कार्यवाही की एवज में 15,000/— रूपये की मांग की जा रही है। जिस पर दिनांक 19.06.2025 को नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन रूबरू वार्ता करवाई गई। जिसमें आरेापी द्वारा परिवादी से एडवांस 5,000/— रूपये रिश्वत राशि व दूसरी किश्त आने के बाद 10,000/— रूपये ग्रहण करने की सहमति देने की पुष्टि हुई।

जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी चौकी डूंगरपुर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री रतन सिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2025 को **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रितिक कुमार पटेल हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत वागदरी, पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर को परिवादी से अपनी मांग अनुसार 5,000/— हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।